न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–642 सन् 2008

रामप्रित सिंह......................वादी।

बनाम

राम नरेश सिंह वगैरह..प्रतिवादी।

दिनांक–22.03.2024

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 30.11.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 01 राम नरेश सिंह थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 04.11.2023 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। न्यायहित में प्रतिवादी सं0 01 का नाम वादपत्र से कलमजद करना तथा उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 01 राम नरेश सिंह का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन को कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 01 राम नरेश सिंह थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 04.11.2023 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र के साथ समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 30.11.2023 को न्यायाहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक..................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।